सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 75/15 **निर्णय दिनांकः— 19.07.2019**

1. लूणाराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी राजेडू तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर। (फौत)
1/1. भंवरी बेवा लूणाराम
1/2. सोहनी पुत्री लूणाराम
1/3. जगदीश पुत्र लूणाराम
1/4. रामेश्वरलाल पुत्र लूणाराम
1/5. ओमप्रकाश पुत्र लूणाराम
2. पन्नाराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी राजेडू तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. शांति पत्नी बुधाराम पुत्री पेमा (माता) जाति जाट निवासी धर्मास तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. गीता पत्नी मोहनराम पुत्री पेमा (माता) जाति जाट निवासी धर्मास तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. डूंगरराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी राजेडू तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. फूसी पत्नी स्व. मघाराम
5. किसनाराम पुत्र मघाराम
6. गोविन्दराम पुत्र मघाराम

   जाति जाट निवासी राजेडू तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. पन्नाराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी राजेडू तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़।
9. शाखाप्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सांवतसर तहसील श्रीडूँगरगढ़।
10. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रीड़ी तहसील श्रीडूँगरगढ।

—रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्याः 65 / 16

1. भंवरी बेवा लूणाराम
2. सोहनी पुत्री लूणाराम
3. जगदीश पुत्र लूणाराम
4. रामेश्वरलाल पुत्र लूणाराम
5. ओमप्रकाश पुत्र लूणाराम

जाति जाट निवासी राजेडू तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. शांति पत्नी बुधाराम पुत्री पेमा (माता) जाति जाट निवासी धर्मास तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. गीता पत्नी मोहनराम पुत्री पेमा (माता) जाति जाट निवासी धर्मास तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. डूंगरराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी राजेडू तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. फूसी पत्नी स्व. मघाराम
5. किसनाराम पुत्र मघाराम
6. गोविन्दराम पुत्र मघाराम

जाति जाट निवासी राजेडू तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

8. शाखाप्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सांवतसर तहसील श्रीडूँगरगढ़।
9. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रीड़ी तहसील श्रीडूँगरगढ।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 09—07—2015 व 09—09—2015

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री ओम चाण्डक, अभिभाषक अपीलांट्स (अपील संख्या 75 / 2015)
2. श्री तेजकरण गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्स (अपील संख्या 65 / 2016)
3. श्री सुरेश चन्द्र व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1, 2 व 9
4. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4, 5, 6, 7
5. श्री नन्दराम कॉसनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट्स ने यह दोनों अपीलें उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 09—07—2015 व 09—09—2015 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. दोनों अपीलों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण उपरोक्त दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक कॉमन निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 337 तादादी 4.29 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर 174 तादादी 4.51 हेक्टर, खसरा नम्बर 193 तादादी 9.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 200 तादादी 8.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 320 तादादी 6.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 368 तादादी 12.13 हेक्टर वाके रोही राजेडू में अपने हक व हिस्से की भूमि की धोषणा व विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट का सहारा लेते हुए व मात्र रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील के माध्यम से वादग्रस्त भूमि के 1/8 हिस्से का खातेदार धोषित करते हुए विभाजन के आदेश प्रदान किये गये है।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 पहले से सह खातेदार नहीं थी फिर भी विभाजन का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जबकि बिना सह खातेदारान् के विभाजन का दावा प्रस्तुत करने का उन्हें कतई अधिकार हासिल नहीं था। प्रकरण में

उल्लेखनीय यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली प्रतिवादी संख्या 9 की तलबी में चल रही थी। जिसमें तलबी हेतु तारीख पेशी दिनांक 03—06—2015 व 10—08—2015 नियत थी। उसके पश्चात् पत्रावली सीधे ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा कैम्प बापेऊ में रख दी गई और प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये कि वे कैम्प में हाजिर आये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से यह कह कर अंगूठा लगवाया गया कि आर्डरशीट पर हाजरी के अंगूठे लगवाने है व उक्त अंगूठा निशानी को हाजरी मानते हुए व वादीगण को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष जैरकार वाद में अपीलांट्स को ना तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया ना ही किसी प्रकार का कोई सबूत प्रस्तुत करने का ही अवसर प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने आगे बताया कि प्रकरण में नामान्तणकरण रजिस्टर राजेडू भू—अभिलेख निरिक्षक हल्का पटवारी बापेऊ के अवलोकन से साबित है कि दिनांक 27—11—2001 को उक्त नामान्तरणकरण पर एक कुर्सीनामा अंकित है जिसमें पेमा फौत लाऔलाद लिखा गया है उसी के आधार पर दिनांक 27—11—2001 को इन खसरों का नामान्तरणकरण प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व उसकी माता अन्नी के नाम चढ़ा है। ऐसी स्थिति में उक्त कुर्सीनामें से यह तथ्य साबित है वादीगण शांति व गीता पेमा की पुत्रियॉ नहीं है। उक्त दस्तावेज पर अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गौर नहीं किया गया है। जबकि उक्त दस्तावेज के आधार पर यह साबित होता है कि वादीगण का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 को 1/8 हिस्से का खातेदार धोषित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09—07—2015 को जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा

हल्का पटवारी से मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन के प्रस्ताव मौके पर उपस्थिति सभी पक्षकारों की उपस्थिति में मौका नक्शा तैयार करते हुए सभी के हिस्से अलग अलग रंगों से दर्शाते हुए सभी की सहमति होने पर नक्शें में सभी के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी लगाते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए थे। जबकि उक्त प्रस्ताव तैयार करवाते समय संबंधित तहसीलदार द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस प्रदान नही किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् तहसीलदार द्वारा बिना पक्षकारों की सहमति व उपस्थिति के अपनी मनमर्जी से तैयार किये गये नये नक्शें के अनुसार नया प्रस्ताव तैयार करते हुए भिजवाये जाने पर उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जबकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार की कोई सहमति नहीं करवाई गई है और ना ही मौके पर जाकर दोनों पक्षों की उपस्थिति में नक्शें में रंग भरा गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही मात्र रेस्पोडेन्ट्स को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि विभाजन के मामलों में विधि का यह सुस्थापित नियम है कि संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर पक्षकारों की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स प्रस्ताव तैयार करते हुए अदालत मातहत को प्रेषित किये जावे। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि विभाजन के मामलों में संबंधित तहसीलदार एवं यदि आवश्यक हो तो उपखण्ड अधिकारी स्वयं मौके पर पक्षकारों की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करवाये जावे। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर पटवारी हल्का से प्रस्ताव तैयार करवाये गये है जो स्पष्ट रूप से विभाजन के नियमों के विपरीत होने से निरस्त येाग्य है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार से प्राप्त प्रस्ताव के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है ना ही प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर

प्रदान किया गया हैं। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा कानून की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स की अपीलें स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथन के समर्थन में सीसीसी 2008 पार्ट ाा पेज 424 व आरआरडी 2017 पेज 679 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि खसरा नम्बर 337 तादादी 4.29 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर 174 तादादी 4.51 हेक्टर, खसरा नम्बर 193 तादादी 9.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 200 तादादी 8.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 320 तादादी 6.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 368 तादादी 12.13 हेक्टर वाके रोही राजेडू के बाबत् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने पैतृक भूमि को हड़पने की नियत मात्र से खातेदार पेमा को लाऔलाद फौत बताकर वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 की पैतृक खातेदारी भूमि को गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा ली गई। जबकि वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 का अपनी माता की खातेदारी भूमि में जन्म से हक व अधिकार बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा गलत रूप से इंतकाल संख्या 474 अपने नाम से दर्ज करवाया गया है। जबकि उक्त इंतकाल प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारिवारिक लड़ाई झगड़ें से बचने के लिए व वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन हेतु अदालत मातहत के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया।

उक्त वादपत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रतिवादीगणों द्वारा वादीगण को अपने हिस्से की भूमि देने की सहमति प्रदान करने व वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सरपंच ग्राम पंचायत बापेऊ

द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर जिसके अनुसार चूनाराम की पुत्री पेमा को फौत बताया गया तथा उसके जायज वारिसान में शांति व गीता को वारिसान बताया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को पेमा के जायज वारिसान मानते हुए वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के विभाजन का प्रश्न है, विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्देशों के अनुसरण में संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित आकर विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये। उक्त विभाजन के प्रस्ताव में सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स पक्षकारों के मध्य वादगत् भूमि का विभाजन करते हुए प्रस्ताव तैयार किये गये है। अदालत मातहत द्वारा उसी के अनुरूप पक्षकारों के मध्य पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपीलें खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1991 पेज 390 व आरआरडी 1960 पेज 46 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 जो सह खातेदार एवं हितबद्व पक्षकार थे, को तलब कर लिया गया था तथा उनके वकील हाजिर थे। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 ऋणदाता होने के कारण उनका पक्षकारों के हिस्से की सीमा तक विभाजन पर कोई आपत्ति पेश करने का औचित्य नहीं था। पत्रावली की सुनवाई राजस्व अभियान के तहत निर्धारित तिथि को रखी गई तथा सुनवाई दिनांक 09—07—2015 को अपीलांट सहित पक्षकार हाजिर थे। वाद का निर्णय राजस्व शिविर में किया गया था। जिसमें वादीगण/रेस्पोडेन्ट को चूनाराम की पुत्री पेमा की वैध वारिस मानकर खातेदार की धोषणा की गई तथा बंटवारें की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई।

अपीलांट्स का कथन है कि नामान्तरणकरण के अनुसार शांति व गीता मृतक पेमा की पुत्रियॉ नहीं हुई जबकि वाद के जावब में उन्होंने शांति व गीता को पुत्रियों के रूप में स्वीकार किया है। अतः पूर्व स्वीकृति के विरूद्व अब इंकार करने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलांट्स का यह भी कथन है कि शेष प्रतिवादी संख्या 5 फूसी का जवाब नहीं लिया, जबकि फूसी की और से वकील हाजिर थे तथा वाद के कथनों से कभी इंकार नहीं किया।

अपीलांट्स ने पेमा द्वारा अपना हक भाईयों तथा माता के पक्ष में छोड़ने तथा दिनांक 27—11—2001 को स्वीकृत इंतकाल की अपील न होने के कारण चूनाराम के शेष वारिसों के पक्ष में स्वीकृत इंतकाल व खातेदारी अंतिम होने का तर्क दिया है, परन्तु केवल पटवारी व सरपंच द्वारा दर्ज नामान्तरणकरण में पेमा का नाम छोड़ देने मात्र से पेमा व उसकी पुत्रियों के विरासतन अधिकार समाप्त नहीं होते है। इंतकाल केवल वित्तीय प्रक्रिया है जिसके आधार पर अंतिम रूप से खातेदारी की धोषणा की जानी नहीं माना जा सकता। परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद की गुणावगुण के आधार पर सुनवाई करने के उपरान्त पक्षकारों की उपस्थिति में व सहमति से दावा डिक्री किया गया है तथा वादीगण को खातेदार धोषित करने के उपरान्त सह खातेदारों की सीमा तक विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी करने में परीक्षण न्यायालय द्वारा कोई भूल नहीं की है।

अपीलांट्स द्वारा मात्र कयास के आधार पर अपील पेश की है, जिसकी कानून के प्रावधानों के तहत पुष्टि नहीं की जा सकती।

प्रकरण में जहॉ तक विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में तहसीलार द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संबंधित तहसीलदार द्वारा पक्षकारों की अनुपस्थिति में विभाजन के प्रस्ताव तैयार किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जबकि विभाजन के मामलों में यह सुस्थापित विधि है कि संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में उनके धारण की भूमि व सहमति के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स प्रस्ताव तैयार करते हुए प्रेषित करावें। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 में प्रावधान निहित है। जिसके अनुसारः—

<u>नियम 18 — जोत के विभाजन के लिए करार फाइल करना</u> — एक जोत के विभाजन तथा लगाने के कारण का सह अभिधारियों द्वारा किया गया करार अधिकारिता वाले तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। तहसीलदार द्वारा उस करार की शर्तो के अनुसार आदेश पारित करेगा और तदनुतार जोत के विभाजन को प्रभावी करेगा।

<u>नियम 19 — करार के आधार पर डिक्रीत वाद में जोत का विभाजन —</u> यदि जोत के विभाजन के वाद के लम्बित रहने के दौरान उस वाद के सहअभिधारी किसी करार पर आते है तो उस वाद को उस करार की शर्तो के अनुसार डिक्रीत किया जावेगा।

<u>नियम 20 — सक्षम न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन —</u> नियम 19 में उपबंधित को छोड़कर, एक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी एक या अधिक सहअभिधारी द्वारा लाए गये वाद में, जो जोत के विभाजन और उसके लगान को कई भागों पर जिनमें वो बांटी गई है, वितरण करने के प्रयोजन से लाया गया हो, डिक्री या आदेश द्वारा जोत का विभाजन करने में निम्नलिखित सिद्वान्तों का पालना किया जावेगा —

(क) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग का मूल्यांकन उस जोत में उसके हिस्से से आनुपाति होगा।

(ख) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथासंभव एक साथ होगा।

(ग) जहॉ तक संभव हो, किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटि की भूमि नहीं दी जायेगी।

(घ) जहॉ तक संभव है, विद्यमान खेतों के टुकड़ें नहीं किये जायेंगे।

(ड़) भूखण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में है, यथासंभव, उनको उस अभिधारी को आवंटित किया जायेगा, यदि वे उसके हिस्से से अधिक नहीं हो।

करार द्वारा या न्यायालय के आदेश द्वारा जोत का विभाजन

नियम 21 — नक्शा बनाना और उप—विभाजित खेतों का अंकन करना — तहसीलदार नक्शा बनायेगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गा भू—खण्ड अलग अलग रंगों में दिखाया जावेगा और यदि किसी खेत को उप विभाजित किया गया है तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् तैयार/प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शें के आधार पर जिस पर किसी भी पक्षकार की उपस्थिति अथवा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित नहीं है, पक्षकारों के मध्य विभाजन करते हुए अपीलाधीन डिक्री पारित किया जाना किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त व न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत मातहत द्वारा स्पष्ट रूप से जोत के विभाजन के नियम 18 से 21 की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्याय का गला घोंटने जैसा कृत्य होगा।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील संख्या 75/2015 सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है व अपील संख्या 65/2016 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वे नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना करते हुए दुबारा प्रस्ताव तैयार करावें तथा अपीलांट्स की आपत्तियों को सुनने के उपरान्त नये सिरे से अंतिम डिक्री जारी करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19—07—2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर